

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2016/माघ 9, 1937

No. 239]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2016/MAGHA 9, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2016

सं. 35/2015-2020

विषय:— विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 5.01 (छ) में संशोधन।

का. आ. 269(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैराग्राफ 1.02 के साथ पठित यथासंशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:

विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 5.01(छ) में संशोधन।

(क) विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के संशोधित पैरा 5.01(छ) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"(छ) विद्युत उत्पादन/प्रेषण (कैप्टिव संयंत्र और किसी भी किस्म के विद्युत उत्पादन सेट सहित) के लिए ईपीसीजी स्कीम के तहत किसी पूंजीगत माल के आयात के लिए प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा।"

(ख) विदेश व्यापार नीति 2015-2020 का संशोधित पैरा 5.01(छ) (iii) निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"(iii) विद्युत (ऊर्जा) की उनकी अपनी यूनिट में आपूर्ति, और"

इस अधिसूचना का प्रभाव: विद्युत उत्पादन/प्रेषण के लिए ईपीसीजी स्कीम के तहत किसी पूंजीगत माल के आयात की अनुमति नहीं है। इससे प्रावधान पुनः स्पष्ट हो जाता है।

[फा. सं. 18/62/एएम-16/पीसी-5]

अनूप वधावन, महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th January, 2016

No. 35/2015-2020**Subject: Amendment in Para 5.01(g) of FTP 2015-2020**

S.O. 269(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020 with immediate effect:

Amendment in Para 5.01 (g) of FTP 2015-2020

(a). Amended Para 5.01 (g) of FTP 2015-2020 shall read as under:

“(g) Authorization under EPCG Scheme shall not be issued for import of any Capital Goods **for generation/transmission of power** (including Captive Plants and Power Generator Sets of any kind) for:”

(b). Amended Para 5.01 (g) (iii) of FTP 2015-2020 shall read as under:

“(iii) **Supply** of power (energy) in their own unit, and”

Effect of this Notification: Import of Capital Goods is not permitted under EPCG Scheme for generation/transmission of power. It further clarifies the provision.

[F. No.18/62/AM-16/PC-5]

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade